भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या*122

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

.....

ऊपरी भद्रा परियोजना को मंजूरी

***122. श्री प्रज्जवल रेवन्ना:**

क्या**जलशक्तिमंत्री**यहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:

(क) क्या मंत्रालय की निवेश समिति ने कर्नाटक राज्य में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 16,125 करोड़ रूपए मंजूर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि ऊपरी भद्रा परियोजना से मध्य कर्नाटक के सूखा-प्रवण जिलों अर्थात् दावणगेरे, चिकमंगलूर, तुमकुर तथा चित्रदुर्ग जिलों में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा तेलंगाना राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य में इस परियोजना को आरंभ करने पर अनेक आपत्तियां व्यक्त की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्तिराज्यमंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

'ऊपरी भद्रा परियोजना को मंजूरी' से संबंधित श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना द्वारा पूछे गए और दिनांक 10.02.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *122 के भाग(क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) जी हां, इस मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2021 में ऊपरी भद्रा परियोजना (यूबीपी) को वर्ष 2018-19 के मूल्य स्तर पर 16,125.48 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के लिए निवेश को अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के वर्ष 2023-24 में पूरा किए जाने की योजना है।

(ग) इस परियोजना मेंचिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर और दावणगेरे के सूखा संभावित जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2,25,515 हेक्टेयर को सिंचाई करनेकी परिकल्पना की गई है। सिंचित क्षेत्रों का जिलेवार अलग-अलग ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	**जिला**	**लक्षित सिंचाई हेक्टेयर में**
1	चिकमंगलूर	44,555
2	चित्रदुर्ग	1,54,245
3	तुमकुर	19,215
4	दावणगेरे	7,500
	कुल	**2,25,515**

(घ) तेलंगाना सरकारने केन्द्रीय जल आयोग से मार्च, 2021 में और उसके उपरांत जुलाई, 2021 में मंत्रालय द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना (यूबीपी) को दिए गए अनुमोदन को कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल (केडब्ल्यूडीटी)-।। के निर्णय आने तक, स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार को इन दोनों पत्रों का विस्तृत उत्तर क्रमश: दिनांक 02.06.2021 और 01.11.2021 को भेज दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिसंबर, 2021 में अन्य बातों के साथ-साथकेडब्ल्यूडीटी-।। के निर्णय के प्रकाशन तक परियोजना के अनुमोदन पर आगे न बढ़ने का अनुरोध किया था। इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को विस्तृत उत्तर जनवरी, 2022 में दिया गया है।

उपर्युक्त दोनों राज्यों को दिए गए उत्तरों में, इस बात पर जोर दिया गया है कि इस परियोजना के लिए जल आबंटन के डब्ल्यू डीटी-। द्वारा कर्नाटक राज्य को किए गए आबंटनके भीतर है, जिसके आधार पर इस परियोजना को अंतर-राज्यीय पहलू की दृष्टि से मंजूर किया गया है।

*****